

कार्यालय पुलिस आयुक्त, जोधपुर

क्रमांक : पु.आ.-जोध/विशा/विविध/2022/719

दिनांक : 08.05.2022

-:: आदेश ::-

(निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973)

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक पु.आ.-जोध/विशा/विविध/2022/682 दिनांक 03.05.2022 के द्वारा जोधपुर आयुक्तालय क्षेत्र में दिनांक 04.05.2022 की मध्यरात्रि 12.00 बजे तक कर्फ्यू लगाया गया था। जिसकी अवधि इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 692 दिनांक 04.05.2022 व 701 दिनांक 06.05.2022 द्वारा दिनांक 08.05.2022 की मध्यरात्रि 12.00 बजे तक बढ़ाई गई थी।

1. उक्त लगाये गये कर्फ्यू की अवधि जिला पूर्व के थाना उदयमंदिर के आंशिक क्षेत्र राई का बाग रोड़वेज बस स्टेण्ड व राई का बाग रेलवे स्टेशन को छोड़कर शेष उदयमंदिर थाना क्षेत्र, सदरकोतवाली, सदरबाजार, नागोरी गेट, खाण्डाफलसा का सम्पूर्ण क्षेत्र एवं जिला पश्चिम के थाना प्रतापनगर, प्रतापनगर सदर, देवनगर, सूरसागर, सरदारपुरा के सम्पूर्ण क्षेत्र में दिनांक 08.05.2022 की मध्यरात्रि 12.00 बजे से दिनांक 10.05.2022 को प्रातः 07.00 बजे तक बढ़ाई जाती है।
 2. दिनांक 09.05.2022 को प्रातः 07.00 बजे से सायं 07.00 बजे तक कर्फ्यू में पूर्ण छूट प्रदान की जाती है।
 3. उक्त छूट की अवधि में शहर में बाजार व समस्त संस्थान सामान्य दिनों की तरह संचालित हो सकेंगे।
- रात्रि कर्फ्यू के दौरान निम्नांकित को छूट प्रदान की जाती है :-
- चिकित्सकीय आपात काल, चिकित्सा सेवा से सम्बन्धित कर्मी व पत्रकार/मीडियाकर्मीयों द्वारा परिचय पत्र/दस्तावेज दिखाने पर अनुमति होगी।
 - समाचार पत्र वितरक (हॉकर्स) को समाचार पत्र वितरण की अनुमति होगी।
 - अन्य विशेष परिस्थितियों में अति-आवश्यक होने पर कर्फ्यू में निकलने के लिए सम्बन्धित सहायक पुलिस आयुक्त व सम्बन्धित थानाअधिकारी अनुमति प्रदान कर सकेंगे।



(राजकुमार चौधरी)
पुलिस उपायुक्त/
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
मुख्यालय एवं यातायात
जोधपुर

Dy Commissioner of Police
Headquarter & Traffic

Jodhpur Page 1 of 2

08/05/2022

प्रतिलिपि: निम्न को सादर सूचनार्थ -

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह, राजस्थान, जयपुर।
2. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान जयपुर।
3. महानिदेशक पुलिस, इन्टेलीजेन्स, राजस्थान जयपुर।
4. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, प्रशासन, कानून-व्यवस्था, राजस्थान जयपुर।
5. प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. पुलिस आयुक्त, जोधपुर।
7. सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर।
8. जिला कलक्टर, जोधपुर।
9. पुलिस उपायुक्त पूर्व/पश्चिम/अपराध, जोधपुर आयुक्तालय ।
10. अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त, पूर्व/पश्चिम/यातायात जोधपुर आयुक्तालय।
11. समस्त सहायक पुलिस आयुक्तगण, जोधपुर आयुक्तालय को पालनार्थ।
12. समस्त थानाधिकारीगण, आयुक्तालय जोधपुर को पालनार्थ।
13. प्रभारी, पुलिस नियन्त्रण कक्ष, जोधपुर आयुक्तालय।
14. जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, जोधपुर को स्थानीय समाचार पत्रों /मीडिया चैनल में प्रचार-प्रसार हेतु।
15. नोटिस बोर्ड, कार्यालय जोधपुर आयुक्तालय।



पुलिस उपायुक्त/
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
मुख्यालय एवं यातायात
जोधपुर

Dy Commissioner of Police
Headquarter & Traffic
Jodhpur